

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. संजय सुराणा पुत्र बाबूलाल सुराणा जाति ओसवाल निवासी सुरत (गुजरात) 2. बाबूलाल पुत्र जसकरण सुराणा जाति ओसवाल निवासी सुरत (गुजरात)		1. जितेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल 2. छैलसिंह पुत्र थानसिंह राजपूत 3. गुलाबसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत 4. भंवरकुंवर पत्नी ईश्वरसिंह राजपूत 5. गुलाबसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत 6. भगवतसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 7. गणपतसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 8. उगमसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 9. जितेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 10. मांगुसिंह पुत्र रणसिंह राजपूत 11. मनोहरकुंवर बेवा ओटसिंह बहैसियत खुद एवं नाबा० पुत्र पुत्री कुलदीपसिंह, श्रीपालसिंह, मोंटुकुंवर, नीतुकुंवर, पिसरान ओटसिंह कुदरती वली माता जाति-राजपूत निवासीगण- गोला तह० शिवगंज 12. राज० राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल गेहलोत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 87/2019

निर्णय:-

दिनांक 16.06.2022

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 74 दिनांक 12.11.2021 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/राजस्व/पीडी/2022/1040 दिनांक 28.04.2022 से वादग्रस्त भूमि मौजा गोला पटवार हल्का आल्पा के खसरा नम्बर 07 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 45 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं० 46 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं० 47 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं० 48 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं० 49 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं० 51/2 रकबा 116 बीघा, खसरा नं० 77 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं० 78/1 रकबा 125-13 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई जिसमें वादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा

सुनिश्चित हो।

आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय न्यायालय में सुनाया गया।



प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

(भागीरथ राम)  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
शिवगंज (सिरोही)  
शिवगंज

(एस.डी.ओ.)  
सहायक कलक्टर  
शिवगंज (सिरोही)

575  
16/6/22

फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 8,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)  
बईजलास भागीरथ राम R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. संजय सुराणा पुत्र बाबूलाल सुराणा जाति ओसवाल निवासी सुरत (गुजरात) 2. बाबूलाल पुत्र जसकरण सुराणा जाति ओसवाल निवासी सुरत (गुजरात)		1. जितेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल 2. छैलसिंह पुत्र थानसिंह राजपूत 3. गुलाबसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत 4. भंवरकुंवर पत्नी ईश्वरसिंह राजपूत 5. गुलाबसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत 6. भगवतसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 7. गणपतसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 8. उगमसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 9. जितेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत 10. मांगुसिंह पुत्र रणसिंह राजपूत 11. मनोहरकुंवर बेवा ओटसिंह बहैसियत खुद एवं नाबा० पुत्र पुत्री कुलदीपसिंह, श्रीपालसिंह, मोंटुकुंवर, नीतुकुंवर, पिसरान ओटसिंह कुदरती वली माता जाति-राजपूत निवासीगण- गोला तह० शिवगंज 12. राज० राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल गेहलोत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 87/2019

दिनांक 16.06.2022

वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिये पत्राक/राजस्व/पीडी/2022/1039 दिनांक 28.04.2022 से वादग्रस्त भूमि मौजा गोला पटवार हल्का आल्पा के खसरा नम्बर 07 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 45 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं० 46 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं० 47 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं० 48 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं० 49 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं० 51/2 रकबा 116 बीघा, खसरा नं० 77 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं० 78/1 रकबा 125-13 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाने पर सहमत होने से वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को मौजा गोला पटवार हल्का आल्पा तहसील शिवगंज के उक्त खसरा नम्बरान का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 16.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया



(भागीरथ राम)  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
शिवगंज (सिरोही)  
शिवगंज

मुदाई	रूपया/पै.	मुद्रायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	-:शून्य:-

प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

(सहायक कलक्टर)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
शिवगंज (सिरोही)

5/6  
16/6/22